राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)
वित्त, भवन, विधान सभा के पास, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांकः–एफ1(385)/GIF/मेडि/2015–16/ 7401 दिनांकः– 30-3-16

कार्यालय निर्देश

दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू राजमेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2016–17 (01.04.2016 से 31.03.2017) के दावो का दिनांक 01.04.2016 से **रियल टाईम बेसिस** पर विभागीय ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग के जिला कार्यालयो द्वारा निस्तारण किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारियो को कार्यालय निर्देश क्रमांक 5609 दिनांक 08.01.2016 पूर्व में जारी किये जा चुके है। सभी जिला कार्यालयो में आहरण एवं वितरण अधिकारियो की सेमीनार/कार्यशाला आयोजित कर ऑनलाईन दावा निस्तारण की प्रकिया से अवगत भी करवाया जा चुका है। इसके साथ ही जिले के सभी अधिकारियों एवं साधारण बीमा निधि से संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 18.11.2015 से 20.11.2015 तक (तीन दिवस) ओटीएस, जयपुर में ऑनलाईन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से दावा निस्तारण की प्रकिया के संबंध में समाचार पत्रो में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। साधारण बीमा निधि कार्यालय में 01.10.2015 से राजमेडिक्लेम पॉलिसी के दावो का ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से निस्तारण करने का कार्य किया जा रहा है। ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से दावा निस्तारण की सम्पूर्ण प्रकिया सुविधाजनक हो एवं बीमित को प्रत्येक स्तर पर अपने दावे की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त हो सके, इस संबंध में समय–समय पर डी.ओ.आई.टी., विप्रो प्रतिनिधि एवं सिस्टम अनुभाग के अधिकारियो के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित कर सॉफ्टवेयर को अपडेट करवाया जाता रहा है। दावा प्रपत्र ऑनलाईन सब्मिट करने एवं दस्तावेज को अपलोड करने के लिए बीमित को पृथक से कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी। इस संबंध में पुनः सूचित किया जाता है कि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से दावा निस्तारण किये जाने के विभिन्न चरण निम्न प्रकार से हैं:–

चरण:1 बीमित राज्यकर्मी किसी भी ई–मित्र कियोस्क, स्वयं के कार्यालय अथवा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय के स्तर से sipf portal पर अपने एम्प्लाई आई.डी. के माध्यम से लॉग–ईन कर ऑनलाईन क्लेम फार्म भरेगा । क्लेम फार्म के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं चिकित्सक से प्रमाणित मरीज की फोटो सहित पूर्ण रूप से भरा क्लेम फार्म एवं सभी मूल दस्तावेज यथा दवाईयो एवं जांच के बिल, जांच रिपोर्ट, डिस्चार्ज टिकिट, ईम्प्लान्ट के स्टीकर आदि स्कैन कर क्लेम फार्म के साथ अटैच कर अपलोड करेगा एवं क्लेम को सब्मिट करेगा। बीमित कार्मिक द्वारा अपना क्लेम फार्म सब्मिट करने पर उसे ऑटो जनरेटेड यूनिक दावा संख्या प्राप्त होगा एवं इसकी सूचना उसे मोबाईल मैसेज/ ई मेल के माध्यम से प्राप्त होगी एवं दावा आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित हो जायेगा।

चरण:2 बीमित का आहरण एवं वितरण अधिकारी ऑनलाईन भरे गये दावा प्रपत्र को मूल दस्तावेजों से जांच करेगा। यदि दावा प्रपत्र में कोई कमी पायी जाती है तो वह अपनी टिप्पणी सहित दावे को वापस बीमित को लौटा (Return) देगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित दावा वापस लौटाये जाने की सूचना मोबाईल मैसेज/ई मेल से बीमित को प्राप्त हो जायेगी। यदि दावा प्रपत्र सही पाया जाता है तो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मूल दावा पत्रावली पर दावा संख्या अंकित करते हुये दावे को संबंधित राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित कर दिया जायेगा एवं मूल दावा पत्रावली भी जिला कार्यालय को भिजवा दी जायेगी। इसकी सूचना मोबाईल मैसेज/ई मेल से बीमित को प्राप्त हो जायेगी।

चरण:3 जिला कार्यालय के स्तर पर दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी एवं मूल दस्तावेजों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा ऑन लाईन दावा प्रपत्रों की जांच की जावेगी। कमी पाये जाने पर दावा प्रपत्र मय टिप्पणी बीमित के आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस (Return) कर दिया जावेगा। दावा प्रपत्र सही पाये जाने पर दावा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) को अग्रेषित कर दिया जावेगा। दावा प्रपत्र की मूल पत्रावली सभी दस्तावेजो सहित जिला कार्यालय के स्तर पर ही रखी जावेगी। जिला कार्यालय द्वारा दावा अग्रेषित करने पर मोबाईल मैसेज/ई मेल से बीमित को सूचना प्राप्त होगी।

चरण:4 थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) ऑनलाईन प्राप्त दावे की जांच संबंधित दस्तावेजो से करते हुये दावे को प्रोसेस करेगा एवं दावा प्रपत्रो की जांच पश्चात् उसे पॉलिसी नियमानुसार रिजेक्ट/क्वेरी अथवा भुगतान की अनुशंषा की आवश्यक टिप्पणी/ प्रोसेसिंग शीट के साथ दावे को ऑनलाईन साधारण बीमा निधि कार्यालय को अग्रेषित करेगा। अग्रेषित करने पर इसकी सूचना बीमित को मोबाईल मैसेज/ ई मेल के माध्यम से प्राप्त होगी।

चरण:5 साधारण बीमा निधि मेडिक्लेम अनुभाग द्वारा दावा ऑनलाईन प्राप्त होने पर अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक (मेडिक्लेम), थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) द्वारा की गई अनुशंसा को पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार जांच करेगा। जांच पश्चात् वह थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) की अनुशंसा पर टिप्पणी करते हुये दावे को रिजेक्ट/रिटर्न (मय क्वेरी) अथवा भुगतान हेतु अनुमोदन करेगा। दावे के रिजेक्ट/रिटर्न (मय क्वेरी) अथवा भुगतान हेतु अनुमोदन की कार्यवाही की सूचना बीमित कार्मिक को मोबाईल मैसेज/ई मेल से प्राप्त होगी।

चरण:6 दावे के रिजेक्ट/रिटर्न (मय क्वेरी) अथवा भुगतान हेतु अनुमोदन के पश्चात् दावा संबंधित जिला कार्यालय को अग्रेषित हो जायेगा। संबंधित जिला कार्यालय ऐसे दावो के भुगतान आदेश जनरेट (ऑटो जनरेटेड) करेगा एवं उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करेगा। अन्य भुगतान आदेशो की भांति संबंधित जिलाधिकारी (संयुक्त निदेशक /उप निदेशक/सहायक निदेशक) इस कार्यालय आदेश को हस्ताक्षरित करेगा एवं बिल रजिस्टर में बिल नम्बर अंकित करवा कर कार्यालय आदेश पर अंकित ऑटोजनरेटेड यूनिक रेफरेन्स संख्या की सहायता से आई.एफ.एम.एस (Integrated Financial Management System) पर ऑनलाईन मेडिक्लेम बिल तैयार करवायेगा और कोष कार्यालय को अन्य बिलो की भांति ऑनलाईन/ऑफलाईन अग्रेषित करेगा, जहां से बीमित के वेतन बैंक खातो में भुगतान योग्य दावा राशि को आर.टी.जी.एस. (Real Time Gross Settlement) करवा दिया जायेगा। भुगतान आदेश की एक प्रति मूल दावा पत्रावली में संलग्न करते हुये दावा पत्रावली पर **Paid & Cancelled** की सील सभी बिलो पर लगा दी जावेगी। बीमित के बैंक खाते में राशि जमा होने पर उसे मोबाईल मैसेज/ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जायेगी।

राज मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2016–17, पॉलिसी के नियम एवं शर्ते, निजी अनुमोदित अस्पतालो की सूची, टीपीए का पूर्ण पता, संबंधित अधिकारियों का दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल इत्यादि संबंधी सूचना एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट www.sipf.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

अतः यह सुनिश्चित कर लेवे कि संपूर्ण प्रकिया फुल प्रूफ, सुगम, सरल एवं पारदर्शी हो एवं बीमित कार्मिक का कोई असुविधा नहीं हो। बीमित कार्मिक प्रत्येक स्तर पर अपने दावे को ट्रेक कर सके एवं प्रत्येक कार्यवाही की सूचना उसे मोबाईल मैसेज/ई मेल से प्राप्त होती रहे।

(किशनाराम ईशरवाल)
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक
साबीनि, जयपुर

कमांकः–एफ1(385)/GIF/मेडि/2015–16/ 7402 – 7450 दिनांकः– 30-3-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार पालना एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. श्री धनलाल शेरावत, अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर, को भेजकर लेख है कि यह सुनिश्चित करवा लेवें कि दिनांक 01.04.2016 से प्रस्तावित ऑनलाईन दावा निस्तारण की संपूर्ण प्रकिया फुल प्रूफ, सुगम, सरल एवं पारदर्शी हो एवं बीमित कार्मिक को कोई असुविधा नहीं हो। बीमित कार्मिक प्रत्येक स्तर पर अपने दावे को ट्रेक कर सके एवं प्रत्येक कार्यवाही की सूचना उसे मोबाईल मैसेज/ई मेल से प्राप्त होती रहे।
3. श्री आर.सी. शर्मा, संयुक्त निदेशक, डी.ओ.आई.टी. एण्ड सी, / श्री यूसुफ पंवार विप्रो टीम मैनेजर/ श्री द्वारका कुमावत, विप्रो टीम लीडर/ को भेजकर लेख है कि यह सुनिश्चित करवा लेवें कि दिनांक 01.04.2016 से प्रस्तावित ऑनलाईन दावा निस्तारण की संपूर्ण प्रकिया फुल प्रूफ, सुगम, सरल एवं पारदर्शी हो एवं बीमित कार्मिक को कोई असुविधा नहीं हो। बीमित कार्मिक प्रत्येक स्तर पर अपने दावे को ट्रेक कर सके एवं प्रत्येक कार्यवाही की सूचना उसे मोबाईल मैसेज/ई मेल से प्राप्त होती रहे।
5. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त संभागीय कार्यालय/समस्त जिला कार्यालय/ मुख्यालय, जयपुर / साधारण बीमा निधि, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(अमित जौहरी)
अतिरिक्त निदेशक (मेडिक्लेम)
साबीनि, जयपुर